संख्या–वे0आ0–2–2104/दस–62 (एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः **22** दिसम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के लिये लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था का प्राविधान शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008 दिनांक 04 मई 2010 द्वारा किया गया था। उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने में इंगित कठिनाइयों के निराकरण हेतु स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–3012/दस–62(एम)/2008 दिनांक 29 सितम्बर 2010 एवं शासनादेश संख्या वे0आ0–2–798/दस– 62(एम)/2008 दिनांक 30 मई 2011 निर्गत किये गये हैं।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मियों के लिये उपरोक्तानुसार लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) राजकीय कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर कमशः 10, 16 तथा 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य कराये जायेगें।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्तर–1(2)(i)(ख) एवं प्रस्तर–3 (2) निम्नानुसार संशोधित माने जायेगें:–

(i) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा पश्चात् प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

(ii) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 02 वर्ष की सेवा अथवा दिनांक 01 दिसम्बर 2008,

जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम प्रोन्नतीय पद/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(2) ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा। उक्त शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 का प्रस्तर–1(3) इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

(3) ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु नॉन फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को इग्नोर किया जायेगा। अतः शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्तर–1 (2) (ii) को विलुप्त माना जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 एवं इस कम में निर्गत अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें तथा उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

भवदीया

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2-2104 (1)/दस–62(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी–I एवं II तथा आडिट– I एवं II, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
उप सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 77 सा0 वित्त–23–12–2011–(1401)–5000 प्रतियां–(आफसेट)।